फा.सं. 4/13/2018 -आईआर

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांकः 23 अक्तूबर, 2018

विषयः **<u>केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति।</u>**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत भारत सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग गठित किया है, जो नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियां और कार्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार हैं।

2. दिनांक 24.11.2018 को कार्यकाल के संभावित समापन पर वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त के स्थान पर केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव है।

3. अधिनियम यह प्रावधान करता है कि मुख्य सूचना आयुक्त-

(i) विधि, विज्ञान और प्राद्यौगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास-मीडिया अथवा प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए।

(ii) कोई संसद सदस्य अथवा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल, जैसा भी मामला हो, का सदस्य नहीं होना चाहिए अथवा कोई अन्य लाभ का पद धारण करने वाला नहीं होना चाहिए अथवा किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए अथवा कोई व्यापार अथवा वृत्ति करने वाला नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि धारित किसी लाभ के पद, किसी वृत्ति अथवा किसी व्यापार की समाप्ति, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति पूर्व शर्त है।

4. 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

5. मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जो चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति के समय विनिर्दिष्ट की जाएं।

6. मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले और इच्छुक व्यक्ति संलग्न प्रपत्र में अपना विवरण अवर सचिव (आईआर) कमरा सं. 215ए/III, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को डाक द्वारा अथवा usir-dopt@nic.in पर ई-मेल के माध्यम से भेंजे ताकि 12 नवंबर, 2018 को सांय 5:00 बजे से पहले पहुंच सके। राज्य/केन्द्र सरकार अथवा किसी संगठन के अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों को अपना विवरण उचित माध्यम से (क्रमशः राज्य-संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अथवा नियंत्रक कार्यालय) भेजना चाहिए।

(राजबीर सिंह)
अवर सचिव (आईआर)
दूरभाषः 23092356

टिप्पणीः इच्छुक आवेदकों द्वारा सामान्य जानकारी हेतु, जैसा उचित हो, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उसके अंतर्गत नियमों का संदर्भ लिया जा सकता है।

केंद्रीय सूचना अयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु विचार करने के लिए विवरण भेजने हेतु प्रपत्र

कृपया अद्यदित पासपोर्ट आकार का फोटो को चिपकाएं

1. नाम :
2. जन्म की तिथि :
3. वर्तमान पता :
4. संपर्क सं. :
   - क). टेलीफोन (एसटीडी कोड सहित) :
   - ख). मोबाइल :
   - ग). फैक्स :
5. ई-मेल पता :
6. शैक्षणिक योग्यता :
7. ख्याति का क्षेत्र :
8. वर्तमान व्यवसाय :
9. उपलब्धियां/कार्य अनुभव :
   (अनुलग्नक के अनुसार)

दिनांक : हस्ताक्षर:

स्थान : नाम :

अनुलग्नक

मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में उपलब्धियों/कार्य अनुभव का विवरण

क्र. सं.	पद	संगठन	अवधि		उपलब्धियां/कार्य अनुभव का विवरण (संक्षेप में)
			से	तक	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					